न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–115/2016 (आरसीएमएस नं. 206/00016)

1. ईश्वर सिंह पुत्र झाबरराम, जाति जाट, निवासी वारिसपुरा (खंगा का बास) तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. दयाराम,
3. शीशराम,
4. रमेश,
5. रघुवीर,
6. बुद्धराम पुत्रान स्व. झाबर जाति जाट, निवासीगण वारिसपुरा (खंगा का बास) तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. पन्ना पुत्र गौरूराम,
2. झिमकौरी बेवा रामकरण,
3. महेन्द्र पुत्र स्व. रामकरण,
4. सन्दीप पुत्र स्व. रामकरण, समस्त जाति जाट निवासीयान वारिसपुरा (खंगा का बास) तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
5. चन्दा उर्फ चन्द्रावली पुत्री गौरूराम पत्नी रामजीलाल जाट, निवासी भंडौदा छोटा, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. तहसीलदार झुन्झुनू।
7. ग्राम पंचायत बाकरा जरिये सरपंच, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 12.03.2016 (प्रकरण संख्या 4/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 21 तस्दीक दिनांक 30.04.1957 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पन्ना ने उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष करीब 51 वर्ष 4 माह बाद प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को बिना मियाद का बिन्दु तय किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मियाद बाहर अपील को गुणावगुण पर लोक अदालत में स्वीकार करने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विवादित मुद्दों को कतई सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध एवं परवर्स निर्णय दिनांक 12.03.2016 पारित किया है, जो पूर्णतया विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त P.T.O.
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये एवं यदि न्यायालय प्रकरण, अपील को मियाद में प्रस्तुत होना मानकर विलम्ब कण्डोन करती है तो तत्पश्चात् उसे प्रकरण को मेरिट्स पर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही किया है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पन्ना द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई एवं प्रथम अपील के साथ विलम्ब को कण्डोन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपूर्ण अपील को मेरिट्स पर निस्तारित करने में अपना क्षेत्राधिकार विहिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का एवं अपना पक्ष, साक्ष्य सबूतादि प्रस्तुत किये जाने का कोई अवसर दिया बिना ही अपीलार्थीगण के पीठ पीछे एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2016 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 13.01.2016 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.03.2016 नियत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 28.03.2016 से पूर्व ही दिनांक 11.03.2016 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पन्ना के प्रार्थना पत्र पर दूसरी ही दिन दिनांक 12.03.2016 को अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना अपीलान्ट को सुने ही पारित किया गया है, जो विधि विधान के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 12.03.2016 एवं कभी भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा नही किया है एवं ना ही कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा पेश ही किया, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने एवं अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्टस संख्या एक लगायत चार ने तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से साजकर बिना अपीलार्थीगण को सुने लोक अदालत में अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2016 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 21 यथावत कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सरपंच ग्राम पंचायत बाकरा जिला झुन्झुनू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 30.04.1957 को स्वीकार किया गया जिससे गोरिया पुत्र गणेश जाट खातेदार के फौती पर विरासत पन्ना पुत्र गोरिया के साथ छोटे

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भाई झाबर पुत्र गणेश के नाम हिस्सा बराबर मंजूर किया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 में स्पष्ट रिपोर्ट की है कि "गोरिया खातेदार फौत हो गया उसके वारिस पन्ना पुत्र है, अतः रिपोर्ट पेश है व सजरा पेश किया" किन्तु सरपंच ने गलत रूप से विधि के प्रतिकूल मृतक खातेदार गोरिया पुत्र गणेश के भाई झाबर पुत्र गणेश का नाम जोड़ कर विरासत झाबर पुत्र गणेश व पन्ना पुत्र गोरू हिस्सा बराबर मंजूर किया है, इस नामान्तरकरण आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पन्ना पुत्र गोरू उर्फ गोरिया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दू के निर्वसियत स्वर्गवास पर विरासत का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दी गई व्यवस्थानुसार अवतरित होता है तथा प्रश्नाधीन नामान्तरकरण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार गोरू उर्फ गोरिया कि विरासत का है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार गोरू का एकमात्र जायन्दा पुत्र पन्ना होने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 21 पर अंकित सजरा जिसमें मूल पुरूष गणेश के जायन्दा 2 पुत्र बताये गये है, गोरिया व झाबर, विरासत गोरिया की का नामान्तरकरण मात्र गोरिया के वारिस के नाम पर ही अंकित किया जाना न्यायसंगत था, गोरिया का भाई झाबर जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी का वारिस न होकर द्वितीय श्रेणी में आने के कारण नामान्तरकरण में गलत रूप से अंकित किया गया है, कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अधिनियम में विनिर्दिष्ट वारिसों मे प्रथम श्रेणी वारिस के होते हुए वरियता अनुसार द्वितीय श्रेणी वारिस को वरियता नही दी जा सकती है इसलिये झाबर पुत्र गणेश के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण प्रारम्भ से अवैध व प्रभाशून्य व बिना क्षेत्राधिकार का है। उन्होने कथन किया है कि कानून की निगाह मे क्षेत्राधिकार विहिन दी गई खातेदारी को निरस्त करने के लिए कोई समय सीमा बाधित नही है, ऐसे नामान्तकरण को चुनौती देने के लिये मियाद बाधित नही है जैसा कि न्यायिक दृष्टांतों मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का अपील में मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 पर कोई निर्णय पारित नही किया है, जबकि अपीलान्ट का यह उज्र गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक व क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि "उक्त नामान्तरकरण झाबर पुत्र गणेश का नाम अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जोड़ा है जो कि शुरू से ही अवैध आदेश है व कानूनन बिना क्षेत्राधिकार के पारित आदेश को किसी भी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समय चैलेन्ज किया जा सकता है इसके लिऐ कोई समय सीमा तय नही है'' इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को विधिक रूप से निर्णित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन, आधारहीन व खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगग्रस्त नामान्तरकरण सख्या 21 दिनांक 30.04.1957 के विरूद्ध दिनांक 21.07.2008 को असाधारण विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.03.16 नियत थी तथा दिनांक 11.03.2016 को पत्रावली तलब कर प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 12.03.16 नियत कर दिनांक 12.03.16 को ही अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय करने के उपरान्त गांव वालों के बनायादि व गवाही इत्यादि लेकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर